[2022] 7 एस. सी. आर. 267

/

FERTILIZERS AND CAMICALS TRAVANCORE LTD. & ORS. v.

अनुश्री के. बी.

(सिविल अपील सं. 2022 की 6958) 30 सितंबर, 2022

/

[एम**.** आर**.** शाह और कृष्णा मुरारी**,** जे**.** जे**.]**

सेवा विधि -अनुकंपा नियुक्ति-आवेदन, अस्वीकृत-लिखित याचिका-उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया-स्वामित्व-आयोजितःउचित नहीं-अनुकंपा रोजगार देने का पूरा उद्देश्य मृतक के परिवार को अचानक संकट से उबरने में सक्षम बनाना है-तथ्यों के आधार पर, संबंधित कर्मचारी की मृत्यु के 14 साल बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया गया था-इसके अलावा, कर्मचारी की मृत्यु के 24 साल बीत चुके हैं-यदि ऐसी अनुकंपा नियुक्ति अभी और/या 14/24 वर्षों की अवधि के बाद की जाती है, तो यह उस उद्देश्य और उद्देश्य के खिलाफ होगा जिसके लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।सेवा विधि -अनुकंपा नियुक्ति-उद्देश्य और उद्देश्य-अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत-पर चर्चा की गई।

/

/

/

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.1.**अनुकंपा नियुक्ति लोक सेवाओं में नियुक्ति के सामान्य नियम का एक अपवाद है और यह एक मृतक के आश्रितों के पक्ष में है जो नौकरी में मर रहा है और अपने परिवार को गरीबी में और आजीविका के किसी भी साधन के बिना छोड़ रहा है**,** और ऐसे मामलों में**,** इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जब तक आजीविका का कोई स्रोत प्रदान नहीं किया जाता है**,** परिवार दोनों उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा**,** नियमों में एक प्रावधान किया गया है ताकि मृतक के आश्रितों में से एक को लाभकारी रोजगार प्रदान किया जा सके जो इस तरह के रोजगार के लिए पात्र हो सकता है।इस प्रकार**,** अनुकंपापूर्ण रोजगार देने का पूरा उद्देश्य परिवार को अचानक आए संकट से उबरने में सक्षम बनाना है।इसका उद्देश्य ऐसे परिवार को मृतक द्वारा धारण किए गए पद से बहुत कम पद देना नहीं है।**[**पैरा **9] [274-**एफ**-**एच**]**

/

/

/

267 ए.

268 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 7 एस. सी. आर.

1.2.उस उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है**,** प्रतिवादी अपने पिता की मृत्यु पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का हकदार नहीं होगा**,** जिनकी मृत्यु वर्ष **1995** में हुई थी।मृतक कर्मचारी की मृत्यु के **24** साल की अवधि के बाद**,** प्रतिवादी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का हकदार नहीं होगा।यदि ऐसी नियुक्ति अभी और/या वर्ष की अवधि के बाद की जाती है**,** तो यह उस उद्देश्य और उद्देश्य के खिलाफ होगी जिसके लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है।**[**पैरा **9.1] [275-**ए**-**सी**]**

/

/

कर्नाटक में कोषागार निदेशक और ए. एन. आर. वी.

वी. सोम्यश्री (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 704 और स्टेट ऑफ

हिमाचल प्रदेश और एन**.** आर**.** वी**.**शशि कुमार **(2019) 3**

एससीसी **653:[2019] 2** एस**.** सी**.** आर**. 432-**निर्भर।

एन**.** सी**.** संतोष बनाम कर्नाटक राज्य **(2020) 7** एससीसी

/

617 :[2020] 3 एस. सी. आर. 1177 और गोविंद प्रकाश वर्मा बनाम एल. आई. सी. (2005) 10 एस. सी. सी. 289-निर्दिष्ट।

संदर्भित निर्णय

[2020] 3 एससीआर **1177**

संदर्भित

पैरा **3**

/

[2019] 2 एससीआर **432**

पर विश्वास किया

पैरा **8.1**

(2005) 10 एससीसी **289**

संदर्भित

पैरा **8.1**

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील संख्या 6958।

/

2021 के डब्ल्यू. ए. No.543 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांकित 31.03.2022 के निर्णय और आदेश से।

सिद्धार्थ झा, सुश्री प्रचेता कर, आदित्य सिद्धरा, नदीम अफरोज, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

/

संजय पारिख, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री सृष्टि अग्निहोत्री, प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता।

/

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. केरल उच्च न्यायालय द्वारा एर्नाकुलम में 2021 की रिट अपील संख्या 543 में पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपीलकर्ताओं द्वारा पसंद की गई उक्त रिट अपील को खारिज कर दिया है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि की है, जिसमें अपीलकर्ताओं को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रतिवादी के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया गया है, मूल अपीलकर्ता-फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड और अन्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

/

/

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैंः- 2.1 प्रत्यर्थी के पिता अपीलार्थी संख्या 1 के साथ एक लोडिंग सहायक के रूप में कार्यरत थे और 19.04.1995 पर ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी।कर्मचारी की मृत्यु के समय, मृतक कर्मचारी की पत्नी सेवारत थी और इसलिए, नौकरी में मरने वाले कर्मचारियों के आश्रितों के रोजगार की योजना को देखते हुए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थी।14 साल की अवधि के बाद, मृतक कर्मचारी की मृत्यु के बाद, मृतक कर्मचारी की प्रतिवादी बेटी ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग करते हुए एक अभ्यावेदन दिया।कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए उसका आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उसका नाम मृत कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत आश्रितों की सूची में नहीं था और नीति मृत कर्मचारी की विधवा या बेटे या अविवाहित बेटी को रोजगार देने की थी।

/

/

2.2 अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन की अस्वीकृति विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिका का विषय था।दिनांक 13.11.2019 के आदेश के माध्यम से, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थियों को योजना के खंड 1 के अनुसार प्रतिवादी के आवेदन पर पुनर्विचार करने के निर्देश के साथ रिट याचिका का निपटारा किया।2.3 आई. डी. 1 पर पुनर्विचार के बाद, अपीलकर्ताओं ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रत्यर्थी के आवेदन को फिर से इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह योजना की प्राथमिक कसौटी पर खरा नहीं उतरता है कि मृतक कर्मचारी को "अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला" होना चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी उसकी मृत्यु के समय केरल राज्य स्वास्थ्य सेवा विभाग में लाभकारी रूप से कार्यरत थी और

/

/

/

यह भी कि मृतक कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से 24 वर्ष बीत चुके हैं।

2.4 अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रतिवादी के आवेदन को खारिज करते हुए, दिनांकित 13.11.2019 के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।

/

2.5 दिनांक 22.01.2021 के निर्णय और आदेश द्वारा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त रिट याचिका को अनुज्ञात और अपीलकर्ताओं को 2018 की रिट याचिका संख्या 11234 (मुकदमेबाजी का पहला दौर) में पारित विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में पारित टिप्पणियों और निर्देशों के संदर्भ में प्रतिवादी के दावे पर सख्ती से पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।

/

2.6 विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश वर्तमान रिट अपील के माध्यम से उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष अपील का विषय था।आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उक्त रिट अपील को खारिज कर दिया है, जिसने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील को जन्म दिया है।3. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सिद्धार्थ झा ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और विशेष रूप से, जब प्रतिवादी द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया गया था-मृत कर्मचारी की मृत्यु के 14 साल की अवधि के बाद मृतक कर्मचारी की बेटी, माननीय उच्च न्यायालय को अपीलार्थियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रतिवादी के मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश नहीं देना चाहिए था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि 24 वर्ष की अवधि के बाद अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए अब प्रत्यर्थी के मामले पर पुनर्विचार करना अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य और उद्देश्य के खिलाफ होगा, अर्थात् एकमात्र कमाने वाले की अचानक मृत्यु के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को पूरा करना।कोषागार निदेशक के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर रिलायंस को रखा गया है।

/

/

/

कर्नाटक और अन्र। बनाम वी**.** सोम्यश्री**, 2021** एससीसी ऑनलाइन एससी **704**

और एन**.** सी**.** संतोष बनाम के मामले में इस न्यायालय का एक और निर्णय।

कर्नाटक राज्य **(2020) 7** एस**.** सी**.** सी**. 617**।

/

3.1 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपील की अनुमति देने का अनुरोध किया जाता है।

4. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय पारिख ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है।

/

271

FERTILIZERS AND CAMICALS TRAVANCORE LTD. & ORS. v.अनुश्री के. बी. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

/

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि संबंधित समय पर जब मृतक कर्मचारी की वर्ष 1995 में मृत्यु हो गई थी, तो प्रतिवादी नाबालिग था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वयस्क होने की आयु प्राप्त करने पर, प्रतिवादी बेटी ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया।यह प्रस्तुत किया जाता है कि शुरू में जब अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रतिवादी का आवेदन खारिज कर दिया गया था, तो यह उस आधार पर नहीं था जिसका उल्लेख बाद में दिनांकित 13.11.2019 आदेश पारित करते समय किया गया था, अर्थात् देरी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्ष 2018 में, यहां तक कि प्रतिवादी को भी साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था, हालांकि, उस समय, नियुक्ति को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि आश्रित की सूची में, प्रतिवादी का नाम उल्लिखित नहीं है, जो तथ्यात्मक रूप से गलत पाया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, प्रतिवादी को देरी के आधार पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता है।इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप न किया जाए।

/

/

5. संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना।6. प्रतिवादी के पिता एक लोडिंग सहायक के रूप में काम कर रहे थे।1995 में उनकी मृत्यु हो गई। प्रासंगिक समय पर, मृत कर्मचारी की विधवा-प्रतिवादी की माँ केरल राज्य स्वास्थ्य सेवा विभाग में सेवारत थी और इसलिए, वह अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र और/या हकदार नहीं थी।लगभग 14 वर्षों की अवधि के बाद, प्रतिवादी ने मृतक कर्मचारी की बेटी होने के नाते अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे अपीलकर्ताओं द्वारा खारिज कर दिया गया है। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इस बीच, प्रतिवादी ने वर्ष 2013 में शादी कर ली।यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब तक विद्वान एकल न्यायाधीश ने आदेश पारित किया, जिसकी खंड पीठ द्वारा पुष्टि की गई है, तब तक मृतक कर्मचारी की मृत्यु के 24 साल से अधिक बीत चुके हैं।उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या फिर भी प्रतिवादी अपने पिता की मृत्यु पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का हकदार होगा, जिनकी मृत्यु वर्ष 1995 में हुई थी?

/

/

/

/

7. वर्तमान अपील में शामिल मुद्दे पर विचार करते समय, मृतक कर्मचारी की मृत्यु पर अनुकंपा के आधार पर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि को संदर्भित करने और विचार करने की आवश्यकता है।हाल के फैसले में, इस न्यायालय ने कोषागार निदेशक के मामले में

कर्नाटक और अन्र। बनाम वी. सोम्यश्री, 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 704,

नियुक्ति के अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत पर विचार करने का अवसर था

/

अनुकंपा के आधार पर।इस न्यायालय के निर्णय को संदर्भित करने के बाद

एन. सी. संतोष बनाम कर्नाटक राज्य, (2020) 7 एस. सी. सी. 617, यह न्यायालय

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया हैः-

(i) कि अनुकंपा नियुक्ति सामान्य नियम का एक अपवाद है;

/

((ii) कि किसी भी उम्मीदवार को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार नहीं है; (iii) राज्य की सेवा में किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुसार सिद्धांत के आधार पर की जानी चाहिए।

/

(iv) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति केवल राज्य की नीति द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने और/या नीति के अनुसार पात्रता मानदंडों की संतुष्टि पर की जा सकती है; (v) आवेदन पर विचार करने की तारीख पर प्रचलित मानदंड अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावे पर विचार करने का आधार होना चाहिए।

/

8. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पर निर्णयों के संबंध में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार, सभी सरकारी रिक्तियों के लिए संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अंतर्गत सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।हालांकि, एक मृत कर्मचारी के आश्रित को दी जाने वाली अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति उक्त मानदंडों के लिए एक अपवाद है। अनुकंपा का आधार रियायत है, अधिकार नहीं।

/

8.1 हिमाचल प्रदेश और अन्न राज्य के मामले में। बनाम शशि कुमार ने (2019) 3 एस. सी. सी. 653 में रिपोर्ट की, इस न्यायालय ने एक

/

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य और उद्देश्य पर विचार करने और इस न्यायालय के निर्णय पर विचार करने का अवसर

(2005) 10 एस. सी. सी. में दर्ज गोविंद प्रकाश वर्मा बनाम एल. आई. सी. का मामला

289 , पैरा 21 और 26 में, इसे निम्नानुसार मनाया और माना गया हैः- “21. गोविंद प्रकाश वर्मा [गोविंद प्रकाश वर्मा बनाम एल. आई. सी., (2005) 10 एस. सी. सी. 289 में निर्णय पर बाद में कई निर्णयों में विचार किया गया है।लेकिन, उन निर्णयों का विज्ञापन करने से पहले, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अनुकंपा नियुक्ति की प्रकृति पर इस न्यायालय द्वारा उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य [उमेश कुमार नागपाल बनाम ए राज्य] मामले में विचार किया गया था।

/

/

हरियाणा, (1994) 4 एससीसी 138]।उमेश कुमार नागपाल [उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य, (1994) 4 एस. सी. सी. 138] में निर्धारित सिद्धांतों का बाद में इस न्यायालय में लगातार अनुसरण किया गया है।इन सिद्धांतों को निम्नलिखित उद्धरण में समाहित किया गया हैः(उमेश कुमार नागपाल मामला [उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य, (1994) 4 एससीसी 138], एससीसी पीपी. 139-40, पैरा 2)

/

“2. ... एक नियम के रूप में, लोक सेवाओं में नियुक्तियां सख्ती से आवेदनों और योग्यता के खुले निमंत्रण के आधार पर की जानी चाहिए।नियुक्ति का कोई अन्य तरीका या कोई अन्य विचार स्वीकार्य नहीं है।न तो सरकार और न ही सार्वजनिक प्राधिकरण किसी अन्य प्रक्रिया का पालन करने या पद के लिए नियमों द्वारा निर्धारित योग्यताओं में ढील देने के लिए स्वतंत्र हैं। हालाँकि, इस सामान्य नियम का, जिसका हर मामले में सख्ती से पालन किया जाना है, न्याय के हित में और कुछ आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए कुछ अपवाद बनाए गए हैं।ऐसा ही एक अपवाद एक कर्मचारी के आश्रितों के पक्ष में है जो नौकरी में मर जाता है और अपने परिवार को गरीबी में और आजीविका के किसी भी साधन के बिना छोड़ देता है।ऐसे मामलों में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जब तक आजीविका का कोई स्रोत प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक परिवार दोनों उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा, नियमों में एक प्रावधान किया गया है ताकि मृतक के आश्रितों में से एक को लाभकारी रोजगार प्रदान किया जा सके जो इस तरह के रोजगार के लिए पात्र हो सकता है।इस प्रकार अनुकंपापूर्ण रोजगार देने का पूरा उद्देश्य परिवार को अचानक आए संकट से उबरने में सक्षम बनाना है।उद्देश्य यह नहीं है कि ऐसे परिवार के किसी सदस्य को मृतक द्वारा धारण किए गए पद के लिए बहुत कम पद दिया जाए।इसके अलावा, केवल एक कर्मचारी की मृत्यु उसके परिवार को आजीविका के ऐसे स्रोत का हकदार नहीं बनाती है।सरकार या संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण को मृतक के परिवार की वित्तीय स्थिति की जांच करनी होती है, और यह केवल तभी होता है जब यह संतुष्ट होता है, कि रोजगार के प्रावधान के अलावा, परिवार इस संकट को पूरा नहीं कर पाएगा कि परिवार के योग्य सदस्य को नौकरी की पेशकश की जानी है।कक्षा III और IV में पद गैर-मैनुअल और मैनुअल श्रेणियों में सबसे कम पद हैं और इसलिए अकेले उन्हें अनुकंपा के आधार पर पेश किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य परिवार को वित्तीय अभाव से राहत देना और आपातकाल से उबरने में मदद करना है।ऐसे निम्नतम पदों पर रोजगार का प्रावधान

/

/

/

/

/

/

/

नियम का अपवाद उचित और वैध है क्योंकि यह भेदभावपूर्ण नहीं है।ऐसे पदों पर मृत कर्मचारी के ऐसे आश्रित के साथ दिए गए अनुकूल व्यवहार का उस उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध है जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है अर्थात निर्धनता के खिलाफ राहत।इस उद्देश्य के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा कोई अन्य पद दिए जाने की अपेक्षा या आवश्यकता नहीं है।इस संबंध में यह याद रखना चाहिए कि मृतक के बेसहारा परिवार के विपरीत लाखों अन्य परिवार हैं जो समान रूप से, यदि अधिक बेसहारा नहीं हैं।मृतक कर्मचारी के परिवार के पक्ष में बनाए गए नियम का अपवाद उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं और वैध अपेक्षाओं और पूर्ववर्ती रोजगार से उत्पन्न परिवार की स्थिति और मामलों में परिवर्तन पर विचार करना है, जो अचानक बदल जाते हैं। "26. मुमताज यूनुस मुलानी निर्णय महाराष्ट्र राज्य (2008) 11 एस. सी. सी. 384) मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ ने इस सिद्धांत को अपनाया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भर्ती का स्रोत नहीं है, बल्कि मृतक के परिवार को अचानक वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाने का एक साधन है।योजना में निहित प्रावधानों के आधार पर परिवार की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी।गोविंद प्रकाश वर्मा [गोविंद प्रकाश वर्मा बनाम एल. आई. सी., (2005) 10 एस. सी. सी. 289 में निर्णयः2005 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 590] पर विधिवत विचार किया गया है, लेकिन न्यायालय ने कहा कि ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इस मामले में इस न्यायालय के पहले के बाध्यकारी उदाहरणों पर ध्यान दिया गया है। "

/

/

/

/

9. इस प्रकार, उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार, अनुकंपा नियुक्ति लोक सेवाओं में नियुक्ति के सामान्य नियम के लिए एक अपवाद है और यह एक मृतक के आश्रितों के पक्ष में है जो नौकरी में मर जाता है और अपने परिवार को गरीबी में और आजीविका के किसी भी साधन के बिना छोड़ देता है, और ऐसे मामलों में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जब तक आजीविका का कोई स्रोत प्रदान नहीं किया जाता है, परिवार दोनों उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा, नियमों में एक प्रावधान किया गया है ताकि मृतक के आश्रितों में से एक को लाभकारी रोजगार प्रदान किया जा सके जो इस तरह के रोजगार के लिए पात्र हो सकता है।इस प्रकार, अनुकंपापूर्ण रोजगार देने का पूरा उद्देश्य परिवार को अचानक आए संकट से उबरने में सक्षम बनाना है।इसका उद्देश्य ऐसे परिवार को मृतक द्वारा धारण किए गए पद से बहुत कम पद देना नहीं है।

/

/

/

275

FERTILIZERS AND CAMICALS TRAVANCORE LTD. & ORS. v.अनुश्री के. बी. [एम. आर. शाह, जे.]

/

9.1 इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित विधि को हाथ में लिए गए मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए और ऊपर की गई टिप्पणियों और उस उद्देश्य और उद्देश्य पर विचार करते हुए जिसके लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है, प्रतिवादी अपने पिता की मृत्यु पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का हकदार नहीं होगा, जिनकी मृत्यु वर्ष 1995 में हुई थी।मृतक कर्मचारी की मृत्यु के 24 साल की अवधि के बाद, प्रतिवादी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का हकदार नहीं होगा।यदि ऐसी नियुक्ति अभी और/या वर्ष की अवधि के बाद की जाती है, तो यह उस उद्देश्य और उद्देश्य के खिलाफ होगी जिसके लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है।

/

/

9.2 इन परिस्थितियों अंतर्गत , दोनों विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपीलार्थियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रतिवादी के मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश देने अंतर्गत गंभीर त्रुटि की है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश अस्थिर है।

/

10. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील सफल होती है।विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।

तदनुसार वर्तमान अपील की अनुज्ञात है।व्यय सम्बन्धी कोई आदेश नहीं।

/

/

अपील अनुज्ञात ।

(सहायकः प्रीतम भारती, एलसीआरए)

/

/

/